झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
अपराधिक् विविध याचिका सं. 978/ 2023

रवि कुमार साहू, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र जड़मोहन साहू, निवासी ग्राम- रामनगर सेन्हा, डाकघर- सेन्हा, थाना- सेन्हा, जिला लोहरदगा
……....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य …… ...विपक्षी दल

याचिकाकर्ता के लिए: श्रीमान. शुभनीत झा, अधिवक्ता
श्री विकास कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्रीमान. शैलेन्द्र क्र. तिवारी, विशेष पी.पी.

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्रीमान जस्टिस अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण संख्या **32** में विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक **12.01.2023** को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जहां विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक पुनरीक्षण लोहरदगा थाना के संबंध में आवेदन संख्या 1645/2022 का केस नंबर 254 जी.आर. के अनुरूप, 2022 की संख्या 620 को खारिज कर दिया है, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 को चुनौती देते हुए दायर किया गया था और जहां विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा के तहत याचिकाकर्ता के वाहन हुंडई कार ग्रैंड आई 10 जिसका पंजीकरण संख्या जेएच01सीटी3409 है, की रिहाई की प्रार्थना की गई थी और साथ ही दिनांक 29.11.2022 को पारित आदेश भी खारिज कर दिया गया है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि लोहरदगा पी.एस. **2022** का केस नंबर **254** इस आरोप पर स्थापित किया गया है कि उक्त हुंडई कार ग्रैंड आई**10** जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच **01** सीटी 3409 तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था**,** ने उक्त मामले के मुखबिर को टक्कर मार दी**,** जो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक

व्यक्ति के साथ सवार था और घायल हो गया। उन्हें मुखबिर की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर लोहरदगा पी.एस. भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338, 427 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला संख्या 254/2022 दर्ज किया गया है। विचाराधीन वाहन तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया गया था और उस आधार पर, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा ने वाहन की रिहाई की प्रार्थना को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा के समक्ष **2022** का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या **32** दायर किया, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा ने झारखंड मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, **2019** के नियम **6 (1)** पर ध्यान देते हुए कहा कि चूंकि विचाराधीन वाहन तीसरे पक्ष के जोखिम के तहत कवर नहीं किया गया था, वाहन को याचिकाकर्ता के पक्ष में तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए अदालत की संतुष्टि तक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में दिया जा सकता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यदि वाहन हुंडई कार ग्रैंड आई**10** जिसका पंजीकरण संख्या जेएच**01**सीटी **3409** है, को पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर खुले आसमान के नीचे रखने की अनुमति दी जाती है, तो वह अपनी उपयोगिता और स्थिति खो देगा व वाहन खराब होगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है । फिर यह प्रस्तुत किया गया कि न तो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा और न ही विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा ने याचिकाकर्ता को अदालत की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया; किसी भी मोटर वाहन दुर्घटना दावा आवेदन में दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए और याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए तैयार और इच्छुक है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी ने बिना किसी अनिश्चित तरीके से उल्लेख किया है कि उन्हें उक्त वाहन की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा **2022** के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या **32** के आदेश दिनांक **12.01.2023** पारित किया गया था, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया था, जो आदेश दिनांक **29.11.2022** को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। यह विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लोहरदगा द्वारा विविध में पारित किया गया। लोहरदगा थाना के संबंध में आवेदन संख्या **1645/2022** का केस नंबर **254** जी.आर. के अनुरूप **2022** की संख्या **620** जिसके तहत और जहां विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा के तहत याचिकाकर्ता के वाहन हुंडई कार ग्रैंड आई**10** जिसका पंजीकरण संख्या जेएच**01**सीटी3409 है, की रिहाई के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया गया; साथ ही विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लोहरदगा द्वारा उक्त मामले के संबंध में पारित आदेश दिनांक **29.11.2022** को कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया ।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष पी.पी. द्वारा कहा गया है कि जांच अधिकारी ने उचित जानकारी नहीं दी है और वाहन की रिहाई के लिए गलत तरीके से अनापत्ति प्रदान की है और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा द्वारा विविध में पारित आदेश **29.11.2022** में कोई अवैधता नहीं पायी गयी है। **2022** का आवेदन संख्या **1645** में **2022** के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या **32** में विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक **12.01.2023** में यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस

सीआरएमपी को बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है। **सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य के मामले में** (**2002) 10** एससीसी **283** में बताया कि जब्त किए गए वाहन को लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रखने का कोई फायदा नहीं है और यह मजिस्ट्रेट के लिए बांड और गारंटी लेकर तुरंत उचित आदेश पारित करने का काम करता है। साथ ही वाहन की वापसी के लिए सुरक्षा का भी काम करता है, यदि किसी भी समय आवश्यक हो, जब उसे प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया हो।

7. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता वाहन का मालिक है। जब मुकदमा किसी भी उचित समय के भीतर समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है यह निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन को खुले आसमान के नीचे रखा जाए।

8. इस स्तर पर, झारखंड मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, **2019** के नियम **6** का उल्लेख करना उचित है, जो निम्नानुसार है: -

6. दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन को छोड़ने पर रोक -

(1) कोई भी अदालत किसी दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन को रिहा नहीं करेगी, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान हुआ हो, जब ऐसा वाहन पंजीकृत मालिक के नाम पर लिए गए तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया गया हो या जब पंजीकृत मालिक जांच पुलिस अधिकारी की मांग के बावजूद ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, <u>जब तक कि पंजीकृत मालिक अदालत की संतुष्टि के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न दावा मामले में दिया जा सकता है।</u>

2. जहां मोटर वाहन तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया गया है, या जब मोटर वाहन का पंजीकृत मालिक उप-नियम (1) में उल्लिखित परिस्थिति में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मोटर वाहन बेच दिया जाएगा। ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में दिए गए मुआवजे को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पंद्रह दिनों के भीतर, जांच पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन को कब्जे में लेने के तीन महीने की समाप्ति पर, जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक नीलामी में, और उससे प्राप्त आय को उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले दावा न्यायाधिकरण के पास जमा किया जाएगा। (जोर दिया गया)

9. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा और विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा दोनों ट्रिब्यूनल नियम, **2019** व झारखंड मोटर दुर्घटना दावा के नियम-**6** के अनुसार कार्य करने में विफल रहे हैं। अनावश्यक रूप से

वाहन को खुले आसमान के नीचे रखने की अनुमति दी गई है; जिससे इसका मूल्य कम हो रहा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, झारखंड मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, **2019** के नियम-**6** में कहा गया है कि यदि कोई भी वाहन, भले ही वह वाहन किसी दुर्घटना में शामिल हो, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो या शारीरिक चोट लगी हो या किसी संपत्ति को चोट पहुंची हो, तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करने वाला बीमा; और यदि अन्यथा, वाहन की रिहाई की मांग करने वाला व्यक्ति कानून के अनुसार वाहन की हिरासत पाने का हकदार है, तो तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी की अनुपस्थिति वाहन की रिहाई के लिए बाधा नहीं होगी, लेकिन ऐसे मामले में पंजीकृत मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए अदालत की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में दिया जा सकता है। लेकिन न तो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा और न ही विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा ने वाहन के मालिक को इस मामले के याचिकाकर्ता होने के नाते मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए अदालत की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया है जो दुर्घटना से उत्पन्न किसी भी दावे के मामले में दिया जाता। मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि दुर्घटना में कथित रूप से शामिल वाहन को लगभग एक वर्ष से अधिक समय पहले जब्त कर लिया गया था, न तो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा और न ही विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा ने कोई कदम उठाया है। झारखंड मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 2019 के नियम- 6(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया, जिसमें परिकल्पना की गई है कि मोटर वाहन, जिसका मालिक तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, को जहां हादसा हुआ क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक नीलामी के तहत बेच दिया जाएगा।

10. ऐसी परिस्थिति में दोनों आदेश दिनांक **29.11.2022** विविध में आपराधिक आवेदन संख्या **1645/2022 2022** का केस नंबर **254** जी.आर. के अंतर्गत पारित किये गये। लोहरदगा थाना के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लोहरदगा द्वारा **2022** की संख्या **620** और विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक **12.01.2023** को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या **32/ 2022** को कानून में टिकाऊ नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को हुंडई कार ग्रैंड आई**10** जिसका पंजीकरण नंबर जेएच**01**सीटी **3409** है, को जारी करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते याचिकाकर्ता **10,00,000/-** रुपये की पर्याप्त सुरक्षा और इतनी ही राशि की दो सॉल्वेंट ज़मानत जमा कर दे, ताकि याचिकाकर्ता संतुष्ट हो सके। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लोहरदगा को उक्त दुर्घटना से उत्पन्न किसी भी दावा मामले में दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

11. तदनुसार, याचिकाकर्ता, जो उस वाहन का पंजीकृत मालिक है, जिसने पंजीकरण संख्या जेएच**01**सीटी **3409** वाली हुंडई कार ग्रैंड आई**10** को रिहा करने की मांग की है, को इसी तरह की दो सॉल्वेंट ज़मानत के साथ **10,00,000/-** रुपये की पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न किसी भी दावा मामले में दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान करने के

लिए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा की संतुष्टि के लिए प्रत्येक राशि और यदि ऐसी सुरक्षा सुसज्जित है, तो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोहरदगा को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त वाहन हुंडई कार ग्रांड आई**10** है जिसका पंजीकरण संख्या जेएच**01**सीटी **3409** है, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में है, उसके अतिरिक्त वाहन को प्रस्तुत करने का वचन देने पर विद्वान ट्रायल कोर्ट या जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर रिहा कर दिया जाता है। मामले की जानकारी और अन्य शर्तें विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जा सकती हैं।

12. परिणामस्वरूप यह अपराधिक् विविध याचिका को अनुमति दी जाती है।

(**अनिल कुमार चौधरी**, **न्यायाधीश.)**

उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची
दिनांक **05** फरवरी, **2024** एएफआर/
अनिमेष